

पावर ग्रिड कार्पोरेशन ओफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उधम)

पूर्वी क्षेत्र पारेषण प्रणाली-1, मुख्यालय,
बिहार राज्य ईलेक्ट्रीसीटी बोर्ड कोलोनी,
टी. आर. डब्लू सेंटर के नजदीक, पोस्ट+थाना-शास्त्रीनगर
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, पटना-८०००२३

स्पीड पोस्ट

संदर्भ: PGCIL/ER-I/2018-19/RTI-105/

दिनांक: 14.02.2019

सेवा में,

श्री राजकुमार,

माधव नगर, रोड न.1, काको रोड,

जहानाबाद-804417 (बिहार)

विषय: सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत मांगी गयी जानकारी के सम्बन्ध में।

महाशय,

कृपया आपके द्वारा ईमेल रजि.न.PGCIL/R/2018/M-75 दिनांक-08.12.2018 को आर.टी.आई. अधिनियम-2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त हेतु आवेदन प्राप्त हुआ था, जो हमारे मुख्यालय आर.टी.आई. कार्यालय, पटना को 18.12.2018 को प्राप्त हुआ था का संदर्भ लें। आपके आवेदन को सम्बंधित कार्यालय पावरग्रिड, पू.क्षे.1, मुख्यालय, मानव संसाधन विभाग, पटना को अग्रसारित किया गया था। सम्बंधित कार्यालय पावरग्रिड, पू.क्षे.1, मुख्यालय, मानव संसाधन विभाग, पटना के द्वारा अनुलग्नक-"क" के रूप में उत्तर दिनांक-14.02.2018 को प्राप्त प्राप्त हुआ है। इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको अग्रसारित किया जा रहा है।

"First Appellate Authority Address:-

Executive Director,


ER-I, Power Grid Corporation of India Ltd.,

BSEB Colony, Near TRW, At.+PO.Shashtri Nagar,

Patna-800023 (Bihar).

सधन्यवाद।

भवदीय


(एम.के.अग्रवाल)

वरि.महाप्रबंधक (वाणिज्य) एवं
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी


संलग्न: अनुलग्नक-"क" :


RTI Request Reply

This is in reference to RTI Request Registration number- Ref: PGCIL/R/2018/M-75
(Sh. Rajkumar) and IOM Ref. No.: RTI/Ag./105/2017-18/2221

Query 1: Why Pension was paid from 01.10.2018 but according to LIC Pension policy it will be paid from 01.09.2018?

Reply : Your query does not fall under the category of Information as defined under section 2 (f) of RTI Act 2005.


(Avanish Anand)
Asst. Manager (HR)


(M K Sahay)
DGM (HR)